

विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

\*\*\*\*\*

फा.सं.सीपूज-सेज़/ईएमएस/ई-वेस्ट/198/09-10/वॉल्यू-II/

दिनांक: 09.12.2016

सार्वजनिक सूचना संख्या - 30/2016

विषय: ई-अपशिष्ट (ई-वेस्ट) के निपटान / हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया।

1. सीपूज-सेज़ यूनितों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ई-अपशिष्ट के निपटान / हटाए जाने की प्रक्रिया ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियमावली, 2016 में विहित उपबंधों / शर्तों के अनुसार होगी।
2. ई-अपशिष्ट के निपटान / हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
  - i) यूनित को निपटान के प्रयोजन के लिए किसी एक स्थान पर एकत्र किए गए अनुपयोज्य (बंकार) ई-अपशिष्टों की सूची तथा फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
  - ii) यूनित को निर्यात लाभ यदि उसने ई-अपशिष्ट सामग्री पर कोई लिया हो, तो लौटाना होगा।
  - iii) यूनित को विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा विधिवत नामिकागत पंजीकृत डिस्मेंटलरों / रिसाइक्लरों के बीज़क / सौदा मूल्य का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
  - iv) यूनित के आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी तथा आगम बिल के अधीन सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
  - v) यूनित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-अपशिष्ट के निरीक्षण किए जाने तथा इसके तुरंत बाद लदान किए जाने के समय की सूचना देगा।
  - vi) तदपश्चात प्राधिकृत अधिकारी यूनित द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ई-अपशिष्ट की प्रकृति / अंतर्वस्तु / वज़न / संख्या की जांच करेगा। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी के पर्यवेक्षण में उसी दिन परिवहन वाहन पर इसका लदान किया जाएगा तथा इसकी वीडिओग्राफी भी कराई जाएगी। परिवहन वाहन के क्षेत्र से बाहर निकलने के पहले प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परिवहन माल सूची तैयार कराई जाए तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र सह पास बुक अद्यतन किया जाए।
  - vii) यूनित को 90 दिनों के अंदर डिस्मेंटलर / रिसाइक्लर से उपयोग प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।
3. इस संबंध में, इस कार्यालय द्वारा जारी सभी सार्वजनिक सूचनाओं / अनुदेशों को अधिकृत करते हुए यह सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है।  
यह विकास आयुक्त, सीपूज-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*विजय*

(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त,

सीपूज-सेज़

प्रति,

1. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपूज-सेज़

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER**  
**SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE**  
**GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**ANDHERIE(J), MUMBAI-400096.**


F.No.SEEPZ-SEZ/ EMS/E-Waste/198/09-10/VOL-II/87345 Date:09.12.2016

**PUBLIC NOTICE No. 30/2016**

**Subject: Procedure for disposal/removal of E-waste - reg.**

1. Procedure for disposal/removal of e-waste from the SEEPZ SEZ Units to DTA will be in tune with the provisions/conditions prescribed in the E-waste (Management and Handling) Rules, 2016.
2. The procedure for disposal/removal of e-waste will be as under:
  - i) Unit will submit list and photographs of unserviceable e-waste items collected at one place for the purpose of disposal.
  - ii) Unit will pay back any export benefit, if any, taken on the e-waste materials.
  - iii) Unit will submit transaction value/ invoice of the registered dismantler/recycler duly empanelled by the office of the Development Commissioner.
  - iv) The application of the unit will be processed and duty will be paid on the transaction value under a Bill of Entry.
  - v) The Unit will intimate the time for inspection of the e-waste and subsequent loading immediately after inspection by the Authorised Officer.
  - vi) Thereafter the Authorised Officer will verify the nature/content/weight/ no. of the e-waste as per the declaration of the Unit and subsequently it will be loaded on the transport vehicle on the same day under his supervision and videography by the security staff. Before leaving the zone, the Authorised Officer will ensure that the transport Manifest is prepared and Registration Certificate-cum-Passbook is updated.
  - vii) Unit will submit a Utilization certificate from the dismantler/ recycler within 90 days.
3. This replaces all Public Notices/ Instructions issued by this office in this regard.

This issues with the approval of the Development Commissioner.

  
( V.P.Shukla)  
**Joint Development Commissioner**

Copy to:

1. Specified Officer, SEEPZ SEZ
2. IT section for uploading on the office website.